



2026:AHC:180164

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8817 सन् 2026

संजय यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	: रामदेव मणि त्रिपाठी
विपक्षी की ओर से अधिवक्ता	: अमित राय, अनूप कुमार शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), मंगला प्रसाद तिवारी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. श्री रामदेव मणि त्रिपाठी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अमित राय, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 584 सन् 2026, धारा 69, 352, 351(3) भा.ना.सं., थाना- खलीलाबाद, जनपद- संत कबीर नगर के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में असत्य रूप से फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि सूचनाकर्ता-पीड़िता द्वारा एक असत्य एवं तुच्छ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने अभिकथित किया कि उसके साथ विवाह के असत्य वादे पर बलात्संग किया गया। पीड़िता का यह स्वीकृत मामला है कि वह एक वयस्क लड़की, लगभग 24 वर्ष की आयु की थी तथा वह लगभग दो वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी, तथा
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस अवधि के दौरान, उन्होंने सहमति से संबंध का आनंद लिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है तथा यह उस समय दर्ज कराई गई जब उनके मध्य संबंध बिगड़ गया। पीड़िता का संस्करण बदलता रहा है और यह अभियोजन के मामले में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता।

4. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यक्षदर्शी संस्करण की चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। यह भी निवेदन किया गया है कि दो वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, पीड़िता आवेदक द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न के बारे में पूर्णतः मौन रही, जब तक कि उसे यह पता नहीं चला कि आवेदक उससे विवाह करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त, यौन संबंध के प्रथम कथित कृत्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने तक दो वर्षों तक निरंतर संबंध के मध्य लंबे अंतराल से यह स्पष्ट होता है कि मामला एक प्रेम-संबंध से संबंधित है। जब संबंध बिगड़ गया, तो पीड़िता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो वयस्कों के मध्य सहमति से बने संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक हो, उपस्थित होने का वचन देता है। यह भी कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा, तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।
6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, तथापि तथ्यात्मक पहलू को विवादित नहीं करते हैं।
7. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।
8. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना को प्रभावित किए जाने की संभावना, अथवा साक्षियों को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धमकाने सहित साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर जाना, आदि पर विचार करना होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को दी गई भूमिका, तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है अथवा नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है।

9. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 676** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में विवेचना आवश्यक हो जाती है अथवा यह जघन्य अपराध हो अथवा जहां साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त फरार हो सकता हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी विधिसम्मत है, इससे यह अधिदेशित नहीं होता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तार करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य भेद किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्म-सम्मान को अपरिमेय क्षति पहुंचा सकता है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा सम्मन की अवज्ञा करेगा तथा वास्तव में उसने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10. **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं 1 अन्य, (2024) 11 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 398** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि जहां महिला द्वारा जानबूझकर लंबी अवधि तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, वहां यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध विशुद्ध रूप से विवाह के कथित वादे के कारण था। किसी महिला के विवाह के वादे के अतिरिक्त भी शारीरिक संबंध रखने के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत लगाव।

11. **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 764** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि यह अकल्पनीय है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवादिनी अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति की अनुपस्थिति में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ दीर्घकालिक संबंध अथवा शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

12. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2528** के मामले में यह अभिप्रेक्षित किया है कि अनेक अवसरों पर, यह विचलित करने वाली प्रवृत्ति संज्ञान में आई है कि असफल अथवा टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दिया जा रहा है। बलात्संग का अपराध, जो सर्वाधिक गंभीर प्रकृति का है, केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, बाध्यता, अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक बिगड़े हुए संबंध को बलात्संग के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, अपितु अभियुक्त पर अमिट कलंक तथा घोर अन्याय भी थोपता है। ऐसे उदाहरण व्यक्तिगत मतभेद के दायरे से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए, जो पहले से ही भारी बोझ का सामना कर रही है, गहन चिंता का विषय है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य, 2025 (4) एस.सी.सी. 197** में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां कोई महिला किसी पुरुष के साथ, उसकी प्रकृति से पूर्णतः अवगत होते हुए, स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में प्रवेश करती है, तथा यह दर्शाने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि उक्त संबंध आरंभ से ही असद्भाव में किए गए तथ्य के भ्रम अथवा असत्य विवाह के वादे से प्रेरित था, तो उस पुरुष को भा.द.सं. की धारा 376 के अंतर्गत बलात्संग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14. **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 154** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को भा.द.सं. की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत दर्ज वास्तविक मामलों की पहचान करने हेतु उक्त अपराध का गठन करने वाले आवश्यक तत्वों की पहचान करते हुए अत्यंत सावधान एवं सतर्क रहना होगा। ऐसे वास्तविक मामलों को उन वादों से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए जो सहमति से बने संबंधों के विवाद एवं मतभेद अथवा भविष्य में मन बदल जाने के कारण कटु हो जाने से उत्पन्न होते हैं।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं 1 अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1055** के मामले में यह प्रेक्षण किया है कि यदि दो समझदार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वयस्कों द्वारा दीर्घकालिक शारीरिक संबंध बनाए रखा गया है, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति से संबंध को चुना है तथा तत्पश्चात विवाह के वादे को पूर्ण न किए जाने से कोई अपराध आकर्षित नहीं होगा।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं 1 अन्य, (2019) 9 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 608** में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां विवाह का वादा असत्य है तथा वादा करने वाले का, वादा करने के समय ही, उसे निभाने का आशय नहीं था, अपितु महिला को यौन संबंध हेतु सहमत कराने के उद्देश्य से उसे छलने का था, वहां “तथ्य का भ्रम” विद्यमान है जो महिला की “सहमति” को दूषित करता है। तथापि, वादे का मात्र भंग असत्य वादा नहीं कहा जा सकता। अतः, असत्य वादा स्थापित करने हेतु यह दर्शाया जाना आवश्यक होगा कि वादा करने वाले का वादा करने के समय अपने वचन का पालन करने का कोई आशय नहीं था।

17. **सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य, (2021) 18 एस.सी.सी. 517** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कार्यवाही को अभिखंडित किया कि अभियुक्त तथा पीड़िता के मध्य संबंध सहमति की प्रकृति का था तथा पक्षकार डेढ़ वर्ष की अवधि तक संबंध में थे, तथा तत्पश्चात अभियुक्त ने अभियोक्त्री से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

18. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन, अभिकथन की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले की समस्त संलग्न तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तथा आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित होने के कारण, अग्रिम जमानत हेतु मामला बनता है।

19. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित निदेशों के साथ अनुमत किया जाता है:-

- (i) आवेदक-**संजय यादव** की, उपर्युक्त मामले में संलिप्त होने के कारण, गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थानाध्यक्ष अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप रु.



50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतों को प्रस्तुत करने पर विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाएगा;

- (ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी को सहयोग देगा तथा विवेचना संचालित करने हेतु जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

20. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला